न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्याः—335/2025

रामफल उम्र 45 वर्ष पुत्र गुडदयाल, निवासी वार्ड नं0 16, कुम्हारों का मौहलला, बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0)।

——अपीलान्ट

बनाम

गुडदयाल उम्र 80 वर्ष पुत्र हाण्डाराम उर्फ सरदारा राम, निवासी कुम्हारों का मौहलला, बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0)।

——रेस्पोडेन्ट

———

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 07.11.2025 न्यायालय उपखण्ड स्तरीय भरण पोषण अभिकरण (एस0डी0एम0) बुहाना उनवानी मुकदमा गुडदयाल बनाम रामफल मु0नं0 05/2025

———

उपस्थितः—
प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
वकील श्री राजेश बागोरिया एवं अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक 10.03.2026

उक्त विषयक अपील विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना के आदेश दिनांक 07.11.2025 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने एक भरण पोषण पोषण का प्रार्थना पत्र अपने पुत्र अपीलान्ट के विरूद्व इस आशय का पेश किया कि आवेदक बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0) का स्थाई निवासी है जो अपना व अपनी पत्नि कृष्णा देवी का भरण पोषण करने मे असमर्थ है। ग्राम बुहाना के वार्ड नं0 16 मे कुम्हारों के मौहल्ले मे आवेदक के मकान है जो आवेदक के स्वयं के बनाये हुए है जिन पर वर्तमान मे अनावेदक जो आवेदक का पुत्र है उसने व उसकी पत्नि व दो पुत्रों ने कब्जा कर लिया है तथा आवेदक व उसकी पत्नि को घर से निकाल दिया है। आवेदक के नाम से ग्राम बुहाना मे पचेरी रोड की तरफ बालास की ढाणी के पास एक बीघा भूमि की खातेदारी मे दर्ज है। आवेदक व आवेदक की पत्नि को अनावेदक व उसकी पत्नि व बच्चों द्वारा मारपीट करके घर से निकालने के पश्चात् कृषि भूमि मे एक टीन शेड डाल कर रहते है जहां पर ना तो कोई बिजली की सुविधा है तथा ना ही पानी की सुविधा है। अब अनावेदक व उसकी पत्नि व बच्चे आवेदक व उसकी पत्नि को वहां से भी निकालना चाहते है तथा उक्त टीनशेड व कृषि भूमि जो मात्र एक बीधा पक्की है उस पर भी कब्जा करना चाहते है। उक्त बदमाश अपना कोई दायित्व नही समझता है। आवेदक अनावेदक का पिता है तथा कृष्णा देवी माता है जो मात्र एक टीनशेड के कच्चे मकान मे जीवन यापन कर रहे है तथा गांव मे स्थित मकान मे से आवेदक व उसकी पत्नि को निकाल दिया है। अब आवेदक व उसकी पत्नि के पास रहने के लिए कोई आसरा नही है। सर्दी, गर्मी व बरसात के समय उक्त टीन शेड के नीचे रहने से अक्सर बीमार रहने लगे है। आवेदक व उसकी पत्नि दोनों वरिष्ठ नागरिक है जो स्वयं के आत्मबल द्वारा जीवन—यापन करने मे असमर्थ है। आवेदक व उसकी पत्नि अब अक्सर बीमार रहते है तथा अनावेदक ने उनको घर से निकाल रखा है। आवेदक व उसकी पत्नि के पास कपडे दैनिक जरूरत के लिए कोई सामान नही है तथा ना आवेदक की इतनी हैषियत है कि वह स्वयं कुछ काम कर सके इसलिए आवेदक व उसकी पत्नि के लिए खाने, कपडे दैनिक जरूरते व दवाई पानी के लिए कम से कम 15,000/— रूपये प्रतिमाह की आवश्यकता है तथा अनावेदक इनका पुत्र है तथा आवेदक द्वारा बनाये गये मकान मे रहता है। उसका दायित्व है कि वह आवेदक व उसकी पत्नि का भरण पोषण करे। अनावेदक की आर्थिक स्थिति सुदृढ है। वह के Construction ठेके लेता है जिससे वह 80,000—90,000/— रूपये प्रतिमाह कमा लेता है तथा आवेदक की कानूनी व नैतिक जिम्मेदारी है इत्यादि

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

परिवाद पर अपीलान्ट के विरूद्व 15,000/– रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण दिलवाये जाने की प्रार्थना की जिस पर अदालत मातहत ने बिना अपीलान्ट की तामिल करवाये अपीलान्ट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आवेदक/रेस्पोडेन्ट का भरण पोषण आवेदन पत्र पोषणीय मानकर रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट से भरण पोषण दिलवाया जाना न्यायोचित मानकर रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट से भरण पोषण दिलवाया जाना न्यायोचित मानकर माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियसम 2007 की धारा 7 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 19.09.2008 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदक के बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बुहाना के खाता संख्या 21303099396 मे प्रतिमाह 3,000/– रूपये भरण–पोषण हेतु अदा करेगा। पालना रिपोर्ट हर माह पेश करेगा अगर आदेश का उल्लघंन किया गया तो नियमानुसार कार्यवाही के भागी होगें। थानाधिकारी, पुलिस थाना बुहाना आदेश की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करेगें। आदेश आज दिनांक 07.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा निम्नलिखित आधारों पर यह अपील पेश की जा रही है कि अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 07.11.2025 विरूद्व कानून व पत्रावली है। अपीलान्ट के स्वयं के दो सन्ताने है जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी अपीलान्ट पर है। इस कारण रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट से किसी भी प्रकार का भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नही है। रेस्पोडेन्ट स्वयं अपनी पत्नि सहित अपीलान्ट व उसके परिवार से अलग रहता है। अपीलान्ट व उसकी पत्नि व बच्चों द्वारा कई बार रेस्पोडेन्ट को साथ रहने के लिए समझाईस की जा चुकी है। लेकिन रेस्पोडेन्ट अपनी हठधर्मिता अपनाये हुए है। इस कारण रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट से कानूनी रूप से किसी प्रकार का भरण पोषण करने का अधिकारी नही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा महज अपीलान्ट को तंग व परेशान करने के लिए यह झूठा व गलत प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के विरूद्व पेश किया था इस कारण भी अदालत मातहत का आदेश दिनांक 07.11.2025 अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 19.06.2006 को पडौसी रामनिवास यादव से 2/– रूपये प्रति सैकडा प्रतिमाह की ब्याज दर पर 35,500/– रूपये उधार लेकर जमीन को गिरवी रख दिया था। उक्त रूपये रेस्पोडेन्ट द्वारा नही दिये जाने के कारण अपीलान्ट द्वारा चुकाये जाकर जमीन को मुक्त करवाया गया था। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 12,000/– रूपये सालना प्राप्त होते है तथा रेस्पोडेन्ट व उसकी पत्नि को मासिक 1500+1500 रूपये मासिक वृद्वावस्था पेंशन के राजस्थान सरकार से प्राप्त होते है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट व उसकी पत्नि की मासिक आय 4,000/– रूपये है जिससे रेस्पोडेन्ट व उसकी पत्नि अपना भरण पोषण करने मे पूर्णतया सक्षम नही है। इस बात पर गौर न कर अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। इस कारण भी अदालत मातहत का आदेश दिनांक 07.11.2025 अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट व उसकी पत्नि का चिकित्सा व्यय व दैनिक जरूरतों के सामान का खर्च भी वहन किया जा रहा है। इस कारण भी रेस्पोडेन्ट अलग से अपीलान्ट से कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इन सब तथ्यों पर गौर न कर अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। इस कारण भी अदालत मातहत का आदेश दिनांक 18.06.2025 अपास्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्व पिक एण्ड च्यूज की थ्यौरी अपनाते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 07.11.2025 पारित किया है जो कानूनी रूप से अपास्त होने योग्य है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 07.11.2025 रिकार्ड के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना जबाब प्रस्तुत करने व बिना साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये आदेश जैर बहस पारित किया है इस कारण भी अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 07.11.2025 निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 07.11.2025 निरस्त फरमाया जावे तथा विकल्प मे अपीलान्ट का यह भी निवेदन करता है कि उक्त पत्रावली अदालत को रिमाण्ड की जाकर अपीलान्ट को समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

अपीलान्ट ने बहस के दौराने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कि रेस्पोडेन्ट ने एक भरण पोषण पोषण का प्रार्थना पत्र अपने पुत्र अपीलान्ट के विरूद्व इस आशय का पेश किया कि आवेदक बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0) का स्थाई निवासी है जो अपना व अपनी पत्नि कृष्णा देवी का भरण पोषण करने मे असमर्थ है। ग्राम बुहाना के वार्ड नं0 16 मे कुम्हारों के मौहल्ले मे आवेदक के मकान है जो आवेदक के स्वयं के बनाये हुए है जिन पर वर्तमान मे अनावेदक जो आवेदक का पुत्र है उसने व उसकी पत्नि व दो पुत्रों ने कब्जा कर लिया है तथा आवेदक व उसकी पत्नि को घर से निकाल

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

दिया है। आवेदक के नाम से ग्राम बुहाना मे पचेरी रोड की तरफ बालास की ढाणी के पास एक बीघा भूमि की खातेदारी मे दर्ज है। आवेदक व आवेदक की पत्नि को अनावेदक व उसकी पत्नि व बच्चों द्वारा मारपीट करके घर से निकालने के पश्चात् कृषि भूमि मे एक टीन शेड डाल कर रहते है जहां पर ना तो कोई बिजली की सुविधा है तथा ना ही पानी की सुविधा है। अब अनावेदक व उसकी पत्नि व बच्चे आवेदक व उसकी पत्नि को वहां से भी निकालना चाहते है तथा उक्त टीनशेड व कृषि भूमि जो मात्र एक बीधा पक्की है उस पर भी कब्जा करना चाहते है। उक्त बदमाश अपना कोई दायित्व नही समझता है। आवेदक अनावेदक का पिता है तथा कृष्णा देवी माता है जो मात्र एक टीनशेड के कच्चे मकान मे जीवन यापन कर रहे है तथा गांव मे स्थित मकान मे से आवेदक व उसकी पत्नि को निकाल दिया है। अब आवेदक व उसकी पत्नि के पास रहने के लिए कोई आसरा नही है। सर्दी, गर्मी व बरसात के समय उक्त टीन शेड के नीचे रहने से अक्सर बीमार रहने लगे है। आवेदक व उसकी पत्नि दोनों वरिष्ठ नागरिक है जो स्वयं के आत्मबल द्वारा जीवन–यापन करने मे असमर्थ है। आवेदक व उसकी पत्नि अब अक्सर बीमार रहते है तथा अनावेदक ने उनको घर से निकाल रखा है। आवेदक व उसकी पत्नि के पास कपडे दैनिक जरूरत के लिए कोई सामान नही है तथा ना आवेदक की इतनी हैषियत है कि वह स्वयं कुछ काम कर सके इसलिए आवेदक व उसकी पत्नि के लिए खाने, कपडे दैनिक जरूरते व दवाई पानी के लिए कम से कम 15,000/– रूपये प्रतिमाह की आवश्यकता है तथा अनावेदक इनका पुत्र है तथा आवेदक द्वारा बनाये गये मकान मे रहता है। उसका दायित्व है कि वह आवेदक व उसकी पत्नि का भरण पोषण करे। अनावेदक की आर्थिक स्थिति सुदृढ है। वह के Construction ठेके लेता है जिससे वह 80,000–90,000/– रूपये प्रतिमाह कमा लेता है तथा आवेदक की कानूनी व नैतिक जिम्मेदारी है इत्यादि परिवाद पर अपीलान्ट के विरूद्व 15,000/– रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण दिलवाये जाने की प्रार्थना की जिस पर अदालत मातहत ने बिना अपीलान्ट की तामिल करवाये अपीलान्ट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आवेदक/रेस्पोडेन्ट का भरण पोषण आवेदन पत्र पोषणीय मानकर रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट से भरण पोषण दिलवाया जाना न्यायोचित मानकर रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट से भरण पोषण दिलवाया जाना न्यायोचित मानकर माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियसम 2007 की धारा 7 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 19.09.2008 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदक के बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बुहाना के खाता संख्या 21303099396 मे प्रतिमाह 3,000/– रूपये भरण–पोषण हेतु अदा करेगा। पालना रिपोर्ट हर माह पेश करेगा अगर आदेश का उल्लघंन किया गया तो नियमानुसार कार्यवाही के भागी होगें। थानाधिकारी, पुलिस थाना बुहाना आदेश की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करेगें। आदेश आज दिनांक 07.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा निम्नलिखित आधारों पर यह अपील पेश की जा रही है कि अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 07.11.2025 विरूद्व कानून व पत्रावली है। अपीलान्ट के स्वयं के दो सन्ताने है जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी अपीलान्ट पर है। इस कारण रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट से किसी भी प्रकार का भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नही है। रेस्पोडेन्ट स्वयं अपनी पत्नि सहित अपीलान्ट व उसके परिवार से अलग रहता है। अपीलान्ट व उसकी पत्नि व बच्चों द्वारा कई बार रेस्पोडेन्ट को साथ रहने के लिए समझाईस की जा चुकी है। लेकिन रेस्पोडेन्ट अपनी हठधर्मिता अपनाये हुए है। इस कारण रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट से कानूनी रूप से किसी प्रकार का भरण पोषण करने का अधिकारी नही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा महज अपीलान्ट को तंग व परेशान करने के लिए यह झूठा व गलत प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के विरूद्व पेश किया था इस कारण भी अदालत मातहत का आदेश दिनांक 07.11.2025 अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 19.06.2006 को पडौसी रामनिवास यादव से 2/– रूपये प्रति सैकडा प्रतिमाह की ब्याज दर पर 35,500/– रूपये उधार लेकर जमीन को गिरवी रख दिया था। उक्त रूपये रेस्पोडेन्ट द्वारा नही दिये जाने के कारण अपीलान्ट द्वारा चुकाये जाकर जमीन को मुक्त करवाया गया था। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 12,000/– रूपये सालना प्राप्त होते है तथा रेस्पोडेन्ट व उसकी पत्नि को मासिक 1500+1500 रूपये मासिक वृद्वावस्था पेंशन के राजस्थान सरकार से प्राप्त होते है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट व उसकी पत्नि की मासिक आय 4,000/– रूपये है जिससे रेस्पोडेन्ट व उसकी पत्नि अपना भरण पोषण करने मे पूर्णतया सक्षम नही है। इस बात पर गौर न कर अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। इस कारण भी अदालत मातहत का आदेश दिनांक 07.11.2025 अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट व उसकी पत्नि का चिकित्सा व्यय व दैनिक जरूरतों के सामान का खर्च भी वहन किया जा रहा है। इस कारण भी रेस्पोडेन्ट अलग से अपीलान्ट से कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

है। इन सब तथ्यों पर गौर न कर अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। इस कारण भी अदालत मातहत का आदेश दिनांक 18.06.2025 अपास्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्व पिक एण्ड च्यूज की थ्यौरी अपनाते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 07.11.2025 पारित किया है जो कानूनी रूप से अपास्त होने योग्य है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 07.11.2025 रिकार्ड के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना जबाब प्रस्तुत करने व बिना साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये आदेश जैर बहस पारित किया है इस कारण भी अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 07.11.2025 निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 07.11.2025 निरस्त फरमाया जावे तथा विकल्प मे अपीलान्ट का यह भी निवेदन करता है कि उक्त पत्रावली अदालत को रिमाण्ड की जाकर अपीलान्ट को समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौराने अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार प्रतिमाह 3000 रूपये के आदेश किये है। रेस्पोडेन्ट 80 वर्षीय वृद्व एवं गरीब आदमी है। रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट ने घर से बाहर निकाल रखा है। रेस्पोडेन्ट टपरी में रहते थे वहां से अपीलान्ट ने बाहर निकाल दिया है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार भरण पोषण अधिनियम के तहत आदेश पारित किये है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। रेस्पोडेन्ट वृद्व व्यक्ति जिसका अपीलान्ट पुत्र है इसलिए उसका भरण पोषण को दायित्व बनता है। अपीलान्ट की यह अपील गलत तथ्यों पर आधारित है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तत तर्को पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 07.11.2025 के द्वारा रेस्पोडेन्ट के आवेदन को स्वीकार कर अपीलान्ट को प्रतिमाह 3000 रूपये भरण पोषण हेतु अदा करने के आदेश दिये है। प्रकरण में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का पिता पुत्र होने का विवाद नहीं है और न ही रेस्पोडेन्ट के वरिष्ठ नागरिक होने का है। ऐसे में रेस्पोडेन्ट नियमानुसार भरण पोषण पाने का अधिकार रखता है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार निर्णय दिनांक 07.11.2025 पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं